बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०–पि०व०/विविध–25–14/2018 (खण्ड संचिका)– 121.

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 21/10/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि हेतु माह जुलाई–2026 से माह सितम्बर–2026 तक के लिए कुल रू० 18,06,395/–(रू० अठारह लाख छः हजार तीन सौ पंचानवे) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को 15 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल–9 किलोग्राम एवं गेहूँ–6 किलोग्राम) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुदानित दर पर खाद्यान्न राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से रू0 5.65/– प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं रू0 4.15/– प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ का क्रय किया जायेगा तथा खाद्यान्न के परिवहन, हथालन तथा भंडारण आदि राज्य सरकार की Door Step Delivery नीति के अनुसार रू० 118.90/– प्रति क्विंटल की दर से राज्य खाद्य निगम को भुगतान किया जायेगा।

2– उपरोक्त के आलोक में विभगीय पत्रांक–666, दिनांक–12.10.2026 के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि हेतु संलग्न सूची में अंकित छात्रावास में वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं के लिए माह जुलाई 2026 से सितम्बर–2026 तक के लिए कुल रू० 18,06,395/–(रू० अठारह लाख छः हजार तीन सौ पंचानवे) मात्र आवंटित की जाती है।

3– वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटनादेश सं0–104, दिनांक–30.09.2026 द्वारा निर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि हेतु संलग्न सूची में अंकित छात्रावास में वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं के लिए माह जुलाई 2026 से सितम्बर–2026 तक के लिए आवंटित कुल रू० 18,06,378/–(रू० अठारह लाख छः हजार तीन सौ अठहत्तर) मात्र से संबंधित जिलावार आवंटित राशि के पूर्णांकित मान (Round off figure) को CFMS में प्रविष्टी के क्रम में उक्त आवंटित राशि के कुल मान में पायी गयी त्रुटि के कारण उक्त आवंटनादेश को रद्द किया जाता है (प्रति संलग्न)।

4–उक्त आवंटित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष–0002–छात्रावासों का संधारण, विषयशीर्ष–21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, विपत्र कोड–11–2225–03–277–0002 के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

5–इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होगें।

6–इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी संबंधित संपादित कार्य/आपूर्ति वस्तु/Payee को देय राशि के विरूद्ध ही नियमानुसार किया जाय। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी०एल० खातों में अंतरित नहीं किया जाय।

7– उक्त आवंटित राशि से खाद्यान्न का आवंटन उन्हीं आवासित छात्र/छात्राओं को किया जाएगा जो माह जुलाई–2026 से सितम्बर–2026 में आवासित रहें हैं एवं वर्तमान में वे छात्रावासों में आवासित है।

P.T.O

8— खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) आपूर्ति योजनान्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है। उक्त खाद्यान्न आवंटन के आलोक में खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि के लिए राशि स्वीकृत की गयी है। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी स्वीकृत राशि से अपने जिला के अधीनस्थ संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं में वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं के बीच वितरित करने हेतु राशि की निकासी करेंगे जो वर्तमान में छात्रावासों में आवासित हैं एवं राशि का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को करेंगे।

9—योग्य लाभुक/वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं की सूची में सूचीबद्ध छात्र/छात्राओं की संख्या बल के आलोक में खाद्यान्न के क्रय, परिवहन, हथालन आदि हेतु राशि की निकासी के पश्चात राशि के अवशेष रह जाने की स्थिति में पूर्ण विवरण के साथ विभाग को प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजी जायेगी तथा विभाग से आवश्यक निदेश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

10— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के नियमानुसार निकासी एवं व्यय हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जाय।

11—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण—पत्र (विहित प्रपत्र में) विभाग को निश्चित रूप से भेजेंगे।

12—उक्त आवंटन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं।

13—सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21/10/2026

(ऋषि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक सं०— पि०व०/विविध—25—14/2018 (खण्ड संचिका)— 121 पटना, दिनांक— 21/10/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित जिला कोषागार/संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/संबंधित छात्रावास अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रशाखा—2 डी०, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक सं०— पि०व०/विविध—25—14/2018 (खण्ड संचिका)— 121 पटना, दिनांक— 21/10/2026

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

21/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक सं०— पि०व०/विविध—25—14/2018 (खण्ड संचिका)— 121 पटना, दिनांक— 21/10/2026

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट (https:/bcebcwelfare.bih.nic.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।